

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 1154/2015)

(संस्थित दिनांक :- 08/12/2015)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

### /// विरुद्ध ///

01. कल्यान सिंह उर्फ करु पुत्र हिम्मत सिंह यादव, उम्र 32 वर्ष।

निवासी :- ग्राम सलमपुरा, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

### /// निर्णय ///

( आज दिनांक : 08/12/2017 को घोषित )

01. अभियुक्त कल्यान उर्फ करु पर भा.द.सं. की धारा 304 (ए) भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 13/11/2015 को दोपहर लगभग 03:00 बजे बस स्टेण्ड देहगांव में, उसके आधिपत्य की बस क्रमांक एम.पी. 07/पी/4282 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी राजेश शर्मा के भतीजा मृतक मोहित को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 13/11/2015 को दोपहर लगभग 03:00 बजे बस स्टेण्ड देहगांव में, वाहन बालाजी बस क्रमांक एम.पी.07/पी./4282 के चालक द्वारा वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक मोहित की मृत्यु कारित करने की रिपोर्ट मृतक के चाचा राजेश शर्मा द्वारा थाना मौ उसी दिनांक को की जाने पर, थाना मौ में उक्त वाहन आरोपी चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 265/2015 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। बस वाहन क्रमांक एम.पी. 07/पी/4282 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी कल्यान सिंह उर्फ करु को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी मुकेश सिंह का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी राजेश शर्मा, ऋषि शर्मा, सुमित शर्मा एवं पूरन शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा फरियादी द्वारा क्लेम प्राप्त करने के उद्देश्य से झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:—

01. क्या आरोपी कल्याण उर्फ करू ने दिनांक :- 13/11/2015 को दोपहर लगभग 03:00 बजे बस स्टेण्ड देहगांव में, उसके आधिपत्य की बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी राजेश शर्मा के भतीजा मृतक मोहित को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?

02. अंतिम निष्कर्ष ?

#### सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी राजेश शर्मा अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 21/07/2016 से करीबन सात-आठ माह पूर्व की होकर दीपावली की दोज की है। साक्षी आगे कहता है कि उसका भतीजा मोहित बालाजी बस क्रमांक 4282 की छत पर सरसों का कट्टा लेकर चढ़ रहा था, इतने में उक्त बस चालक ने अपनी बस को लापरवाही से चला दिया, जिससे उसका भतीजा बस की छत से गिर गया एवं बस के टायर के नीचे आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर मृतक के बाबा प्रेमनारायण, पिता रिन्कू शर्मा, रणवीर शर्मा, देवेन्द्र शर्मा आदि लोग आ गये थे, फिर बस चालक, बस को लेकर भाग गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मौ में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने अकाल मृत्यु की सूचना पुलिस को दी थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर का मौका-नक्शा प्र.पी.03 उसके सामने बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। वह आरोपी कल्याण उर्फ करू को शकल से जानता है।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में फरियादी राजेश शर्मा अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल के पास कैलाश जाटव

की घर की छत पर खड़ा था, जहाँ से उसे घटनास्थल दिखाई दे रहा था। जबकि घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी ऋषि अ.सा.02 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया है कि फरियादी राजेश शर्मा अ.सा.01 घटना के समय बस स्टेण्ड देहगांव पर खड़े थे, किसी के घर की छत पर खड़े हो, तो उसे नहीं मालूम। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि उसने घटना के समय राजेश शर्मा को कैलाश जाटव की छत पर खड़े नहीं देखा, बल्कि बस स्टेण्ड देहगांव पर खड़े देखा था। घटना के एक अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षी पूरन अ.सा.04 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि घटना दिनांक 13/11/2015 को शाम लगभग 03:00 बजे फरियादी राजेश अ.सा.01 एवं ऋषि अ.सा.02 उसके घर के पास बैठे हुये थे, तभी राजेश शर्मा को गांव के लोगों ने बताया कि देहगांव बस स्टेण्ड पर मोहित का कार से एक्सीडेंट हो गया है। घटना के एक अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षी सुमित शर्मा अ.सा.03 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में यह दर्शित किया है कि राजेश शर्मा अ.सा.01, ऋषि शर्मा अ.सा.02 एवं पूरन अ.सा.04 मृतक मोहित के गिरने के बाद जानकारी मिलने पर घर से आ गये थे। साक्षी का फिर कहना है कि वह लोग वहीं पर उपस्थित थे, तत्पश्चात् उसका कहना है कि उस समय राजेश, ऋषि एवं पूरन किसी के घर पर बैठे हुये थे। इस प्रकार घटनास्थल पर या कैलाश जाटव की छत पर या किसी के घर पर राजेश शर्मा अ.सा.01 एवं ऋषि शर्मा अ.सा.02 के उपस्थित होने के संबंध में राजेश शर्मा अ.सा.01, ऋषि शर्मा अ.सा.02, सुमित अ.सा.03 एवं पूरन अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि फरियादी राजेश अ.सा.01 एवं ऋषि अ.सा.02 के घटना के चक्षुदर्शी साक्षी होने संबंधी अभियोजन कथा को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाते हैं।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में राजेश अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दुर्घटनाकारित करने वाली बस तेजी एवं लापरवाही से नहीं चल रही थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में राजेश अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि जब उसने थाने पर अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.02 लेखबद्ध कराई थी, तब उसने उसमें दुर्घटनाकारित करने वाली बस का नम्बर लिखा दिया था, यदि ना लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि कथित रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के लेखबद्ध किये जाने के पाँच मिनट पश्चात् लेखबद्ध की गई अकाल मृत्यु की प्रथम सूचना प्र.पी.02 में दुर्घटनाकारित करने वाली बस का नम्बर लिखे जाने के लिए स्थान खाली छोड़ दिया गया है। मानव प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में यह सत्य प्रतीत नहीं होता कि एक ही व्यक्ति राजेश शर्मा द्वारा दिनांक : 13/11/2015 को दोपहर 03:30 बजे लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाली बस का क्रमांक अंकित हो और उसके पाँच मिनट बाद ही 03:15 बजे राजेश शर्मा द्वारा लेखबद्ध कराई गई अकाल मृत्यु की प्रथम सूचना प्र.पी.02 में उक्त बस का क्रमांक लेखबद्ध ना हो। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में फरियादी राजेश अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि वह अनपढ़ है और उसने बस का नम्बर 4282 पढ़ा था, बाकी अंग्रेजी के शब्द उसने

नहीं पढ़े थे। ऐसी दशा में जब फरियादी राजेश अ.सा.01 ने पंजीयन क्रमांक का “एम.पी.” शब्द प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अकाल मृत्यु की सूचना में लेखबद्ध कराया ही नहीं था, तो वह शब्द प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में किस प्रकार लेखबद्ध किये गये, इसका कोई सारवान कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अकाल मृत्यु की सूचना लेखबद्ध करने वाले बलवीर अ.सा.01 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया गया है। उक्त तथ्य राजेश अ.सा.01 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.02 लेखबद्ध कराये जाते समय दुर्घटनाकारित करने वाली बस का क्रमांक दर्शित करने के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है। इसी प्रकार फरियादी राजेश अ.सा.01 ने न्यायालय के समक्ष आरोपी चालक के रूप में आरोपी कल्याण उर्फ करू को शकल से पहचानता दर्शित किया है, जबकि उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं अकाल मृत्यु की प्रथम सूचना प्र.पी.02 या उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी कल्याण उर्फ करू की कोई पहचान संबंधी तथ्य दर्शित नहीं हुये है। राजेश अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर यह दर्शित नहीं किया है कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी कल्याण का नाम उसे कब पता चला। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन के रूप में बालाजी बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 की पहचान के संबंध में, दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी कल्याण उर्फ करू की पहचान के संबंध में एवं दुर्घटना के समय उक्त वाहन के तेजी एवं लापरवाही से चल रहे होने के संबंध में फरियादी राजेश शर्मा अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अत्यंत संदेहास्पद है।

10. साक्षी ऋषि शर्मा अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 13/11/2015 की दोपहर लगभग 03:00 बजे की देहगांव बस स्टेण्ड की है। वह गांव के मोहित, सुमित एवं पूरन सभी लोग देहगांव बस स्टेण्ड पर खड़े थे। तभी ग्वालियर की तरफ से एक बालाजी बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 आई और बस स्टेण्ड पर रुककर सवारी उतारने लगी। तभी मोहित शर्मा उक्त बस पर अपनी सरसों की बोरी चढ़ाने के लिए बस की छत पर चढ़ने लगा। इसी दौरान बस चालक ने बस को तेजी एवं लापरवाही से चला दिया, जिससे मोहित का संतुलन बिगड़ गया और बस के वह नीचे गिर गया और बस का पिछला टायर मोहित के उपर चढ़ गया और मोहित की मृत्यु हो गई थी। साक्षी आगे कहता है कि पुलिस ने इस संबंध में मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन पत्र बनाया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा पंचायतनामा लाश पुलिस ने उसके सामने बनाया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह दुर्घटनाकारित करने वाले आरोपी बस चालक को पहचानता है, जिसका नाम करू उर्फ कल्याण है, वह उसके पास के गांव सलमपुरा का रहने वाला है, इसलिए उसे जानता है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में साक्षी ऋषि शर्मा अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि उसने पुलिस कथन प्र.डी.02 देते समय दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक का नाम बता दिया था, यदि ना लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता। साक्षी ऋषि शर्मा अ.सा.02 के पुलिस कथन प्र.डी.02 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक का नाम अंकित नहीं है। इस प्रकार इस वावत् साक्षी ऋषि शर्मा अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.02 के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में साक्षी ऋषि शर्मा अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि उसे यह नहीं मालूम कि मृतक मोहित बस की छत पर बस के चालक एवं कंडेक्टर को बोलकर चढ़ा था, अथवा नहीं। घटना के एक अन्य चक्षुदर्शी साक्षी सुमित अ.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में स्पष्ट रूप से यह दर्शित किया है कि मृतक मोहित एवं उसने बस के ड्रायवर एवं कंडेक्टर को यह नहीं बताया था कि वह लोग बस की छत पर सामान रखने के लिए चढ़ रहे थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में साक्षी सुमित अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि उनके गांव देहगांव में कोई भी सवारी बस की छत पर बस चालक या कंडेक्टर से पूछकर नहीं चढ़ती है, अपने आप चढ़ जाती है। ऐसी दशा में जबकि मृतक मोहित दुर्घटनाकारित करने वाली बस के कंडेक्टर या चालक से पूछकर बस की छत पर नहीं चढ़ा था, तब उक्त बस के चालक द्वारा बस को चला दिये जाने से मृतक मोहित के गिर जाने में उक्त बस चालक की कोई उपेक्षा अथवा उतावलापन दर्शित नहीं होता है, क्योंकि उक्त बस चालक को या उसके कंडेक्टर को बस की छत पर किसी व्यक्ति के चढ़े होने के तथ्य की कोई जानकारी ही नहीं थी, इसलिए उससे इस वावत् कोई सावधानी बरतने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती।

12. साक्षी सुमित शर्मा अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 13/11/2015 की दोपहर लगभग 03:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह देहगांव बस स्टेण्ड पर बस का इन्तजार कर रहा था तथा उसके साथ गांव का मोहित शर्मा भी मौ जाने के लिए बस का इन्तजार कर रहे थे, तभी बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 आई और बस स्टेण्ड पर खड़ी हुई और उससे सवारी उतरने एवं चढ़ने लगी। साक्षी आगे कहता है कि मोहित अपना सरसों का कट्टा बस पर चढ़ा रहा था, तभी बस के चालक करु ने अपनी बस को तेजी एवं लापरवाही से चला दिया, जिससे मोहित का संतुलन बिगड़ गया और वह उचट कर रोड़ पर गिर गया और बस का पिछला टायर मोहित पर चढ़ गया, जिससे मोहित की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मौके पर पूरन, रिषी शर्मा आ गये थे। साक्षी आगे कहता है कि ड्रायवर को आवाज लगाई तो ड्रायवर बस को भगाकर मौ की तरफ ले गया था। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। न्यायालय में उपस्थित आरोपी करु उर्फ कल्याण को देखकर साक्षी ने व्यक्त किया कि यह वही व्यक्ति है, जिसने घटना दिनांक को मोहित पर बस चढ़ा दी थी।

13. सुमित अ.सा.03 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 एवं 03 में यह दर्शित किया है कि मृतक मोहित बस पर पीछे से सीढ़ियों द्वारा चढ़ा था और जब मोहित गिरा, तब मैं अर्थात् सुमित अ.सा.03 बस के पीछे खड़ा था। सुमित अ.सा.03 द्वारा दर्शित यदि उक्त तथ्य पर विचार किया जाये तो यह दर्शित होता है कि बस आगे की ओर चल रही थी और जड़त्व के नियमों के प्रभाव से बस पर चढ़ा मोहित बस से पीछे की ओर गिरा और बस आगे की ओर गई, ऐसी दशा में जिस बस से मोहित गिरा, उसका पहिया मृतक मोहित के उपर से गुजरने की संभावना ही नहीं बनती है।

14. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी पूरन सिंह अ.सा.04 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी कल्याण उर्फ करु द्वारा दिनांक : 13/11/2015 को दोपहर लगभग 03:00 बजे बस स्टेण्ड देहगांव में, उसके आधिपत्य की बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी राजेश शर्मा के भतीजा मृतक मोहित को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

15. अभियोजन साक्षी मुकेश सिंह अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 का पंजीकृत स्वामी है। साक्षी आगे कहता है कि वह हाजिर अदालत आरोपी कल्याण उर्फ करु को जानता है। वह उसकी गाड़ी पर ड्रायवरी करता है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी उक्त बस ग्वालियर से कोंच के लिए जाती है, जो मौ बस स्टेण्ड पर रुकती है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, पुलिस वालों ने झूठा उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट में फंसा दिया है। साक्षी आगे कहता है कि उसने प्र.पी.07 का प्रमाणीकरण दिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सुपुर्दगी पंचनामा प्र.पी.10 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी मुकेश सिंह अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक : 13/11/2015 को देहगांव बस स्टेण्ड पर उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। साक्षी मुकेश सिंह अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रमाणीकरण देने की दिनांक से 04-05 माह पहले से उसकी गाड़ी को करु उर्फ कल्याण चला रहा था। साक्षी आगे कहता है कि घटना दिनांक : 13/11/2015 को उसका ड्रायवर करु उर्फ कल्याण उसकी गाड़ी को चला रहा था। साक्षी मुकेश सिंह अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए पुलिस उसकी गाड़ी को करु उर्फ कल्याण से जब्त की थी। साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन उसे सामने जब्त हुआ था एवं आरोपी करु उर्फ कल्याण को उसके सामने गिरफ्तार किया गया था। साक्षी मुकेश सिंह अ.सा.05 ने अभियोजन अधिकारी के इस

सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने उक्त गाड़ी को सुपुर्दगी में न्यायालय के आदेश से थाना मौ से सुपुर्दगी पर लिया था। साक्षी ने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिलकर उसे बचाने के लिए आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है।

16. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में मुकेश अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दिनांक : 16/11/2015 को जब उसकी बस कोंच से मौ वापस आ रही थी, तब पुलिस थाना मौ द्वारा बस को थाने पर रख लिया गया और उसे घर से बुलाकर हस्ताक्षर कराये गये। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसकी गाड़ी रोज थाना मौ के क्षेत्र से गुजरती है, इसलिए उसे पुलिस की बात माननी पड़ती है और इसलिए उसने प्रमाणीकरण प्र.पी.07 पर हस्ताक्षर किये। इस प्रकार मुकेश सिंह अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह दर्शित होता है कि आरोपी कल्याण उर्फ करु बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 पर चालक के रूप में कार्यरत है। परन्तु मुकेश अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दिनांक : 13/11/2015 को उसकी बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 से आरोपी चालक कल्याण उर्फ करु द्वारा दुर्घटनाकारित किये जाने संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है।

17. अभियोजन साक्षी बलवीर अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 13/11/2015 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी राजेश शर्मा द्वारा थाना आकर बालाजी बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 के चालक के विरुद्ध उक्त बस को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मृतक मोहित को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में रिपोर्ट करने पर उसके द्वारा बालाजी बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 265/2015 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त चालक के विरुद्ध मार्ग क्रमांक 27/2015 भी पंजीबद्ध किया गया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् केस डायरी विवेचना हेतु एसआई परशुराम पाल को सौंप दी थी।

18. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में बलवीर अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के पश्चात् लेखबद्ध की गई अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.02 में दुर्घटनाकारित करने वाली बस का नम्बर अंकित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.02 दोनों ही लेखबद्ध करने वाले बलवीर अ.सा.06 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.02 के पहले लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में दुर्घटनाकारित करने वाली बस का क्रमांक अंकित होते हुये भी पश्चात्वर्तीय प्रक्रम

पर मात्र पाँच मिनट पश्चात् लेखबद्ध की गई अकाल मृत्यु की सूचना प्र.पी.02 में उक्त बस का नम्बर क्यों लेखबद्ध नहीं किया गया।

19. अभियोजन साक्षी पी.आर.एस.पाल अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 13/11/2015 को पुलिस थाना मौ में एसआई के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 265/2015 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी राजेश शर्मा के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा फरियादी राजेश शर्मा, ऋषि शर्मा एवं सुमित के एवं दिनांक : 18/11/2015 को पूरन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 16/11/2015 को आरोपी कल्याण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.09 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी से ड्रायविंग लाईसेंस की फोटो प्रति प्रस्तुत करने पर जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.08 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 15/11/2015 को मुकेश सिंह यादव से बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 मय दस्तावेजों के जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.10 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

20. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में पी.आर.एस.पाल अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि साक्षी ऋषि अ.सा.02 ने उसे दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक का नाम नहीं बताया था। जबकि ऋषि अ.सा.02 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कहना है कि उसने पुलिस कथन प्र.डी.02 देते समय दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक का नाम बता दिया था, यदि ना लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। ऋषि अ.सा.02 के पुलिस कथन प्र.डी.02 में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक का नाम अंकित नहीं है। इस प्रकार इस वावत् ऋषि अ.सा.02, पी.आर.एस.पाल अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं पुलिस कथन प्र.डी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

21. प्रकरण में आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा मृतक मोहित की डॉ.पवन कुमार सेंगर द्वारा दी गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 को धारा 294 द.प्र.सं. के अन्तर्गत सत्य होना स्वीकार किया गया है।

22. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी



कल्यान उर्फ करू ने दिनांक :- 13/11/2015 को दोपहर लगभग 03:00 बजे बस स्टेण्ड देहगांव में, उसके आधिपत्य की बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी राजेश शर्मा के भतीजा मृतक मोहित को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

### अंतिम निष्कर्ष

23. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी कल्यान उर्फ करू के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी कल्यान उर्फ करू को धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

24. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

25. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बस क्रमांक एम.पी.07/पी/4282 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी मुकेश यादव के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद